सत्यमेव जयते

# LOK BHAVAN
# BHOPAL

## मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के कुलपति पद पर नियुक्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित करने के लिए सूचना

वि.क्र. एफ-1-1/26/रा.स./यू.ए.1/336 दिनांक 29 अप्रैल, 2026

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र), जो कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्र. 19 सन् 2011) के अंतर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा 12(2) के तहत नियुक्त समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपतिजी के द्वारा की जाना प्रस्तावित है।

2. कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से चार वर्ष होगा।

3. चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान प्रशासी तथा विद्या विषयक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्चतम कोटि की सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होना चाहिए। अभ्यर्थी को किसी शासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में कम से कम दस वर्ष का अनुभव या राष्ट्रीय स्तर के किसी प्रतिष्ठित शासकीय अनुसंधान या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में नेतृत्व के साथ दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में विख्यात व्यक्ति को प्राथमिकता दी जावेगी। उसका जन्म दिनांक 01 सितम्बर, 1960 या उसके बाद हुआ हो।

4. कुलपति को विश्वविद्यालय के परिनियम 01 के प्रावधान अनुसार ही वेतन प्राप्त होगा।

5. अभ्यर्थी को अपने बेदाग केरियर व असंदिग्ध निष्ठा के समर्थन में आवेदन पत्र के साथ स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध लोकायुक्त संगठन, आर्थिक अपराध ब्यूरो या अन्य किसी संस्थान में किसी भी स्तर पर कोई जांच अथवा आपराधिक प्रकरण संस्थित/प्रचलित/लंबित नहीं है।

6. वर्तमान में सेवारत होने की स्थिति में अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ अपने नियोक्ता/ कार्यालय प्रमुख का इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है।

7. यदि पूर्व वर्षों में उपरोक्तानुसार कोई जांच की गई है तो ऐसे जांच प्रकरणों का विवरण एवं निष्कर्ष का भी स्पष्ट उल्लेख अभ्यर्थी को स्व-सत्यापित प्रमाण पत्र में करना होगा।

8. कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन एवं अभिलेख दिनांक 03 जून, 2026 तक राजभवन की बेबसाईट "governor.mp.gov.in" पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत कर प्राप्त प्रस्तुतीकरण रसीद एवं प्रस्तुत आवेदन की डाउनलोड की गई प्रति को प्रत्येक पृष्ठ पर स्वहस्ताक्षरित कर विस्तृत जीवनवृत्त एवं आवश्यक प्रमाण-पत्रों के साथ प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, भोपाल-462003 (म.प्र.) को पंजीकृत/स्पीड पोस्ट इत्यादि से भेजा जावे। लिफाफे के ऊपरी भाग पर स्पष्ट लिखा जावे कि ''मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) के कुलपति पद के लिये आवेदन''।

9. कार्यालय में बिना ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण के सीधे प्राप्त किसी भी आवेदन को विचार में नहीं लिया जावेगा। आवेदन को ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10 इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन क्रमांक एफ-1-1/26/रा.स./यू.ए.1/130 दिनांक 02.03.2026 के संदर्भ में जिन अभ्यर्थियों ने आनलाईन आवेदन प्रस्तुत किए हैं उन्हें पुनः आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

राज्यपाल के उप सचिव
मध्यप्रदेश

--

सत्यमेव जयते

# LOK BHAVAN
# BHOPAL

## NOTICE INVITING ONLINE APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR MADHYA PRADESH AYURVIGYAN UNIVERSITY, JABALPUR (M.P)

Advt. No. F 1-1/26/G.S./U.A.1/ 336 Dated 29 April, 2026

It is proposed to appoint a Vice-Chancellor for the Madhya Pradesh Ayurvigyan University, Jabalpur, established under the Madhya Pradesh Ayurvigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011 (No. 19 of 2011), out of a panel to be recommended by a Committee, appointed in terms of section 12(2) of said Act.

2. The vice-chancellor shall hold office for a term of four years from the date on which he enters office.

3. As the Vice Chancellor is the Principal and Academic Officer of the University, he should have highest level of competence, integrity, morals and institutional committment. He should also be a distinguished academician with a minimum of 10 years of experience as Professor in a Government College or University or 10 years of experience in a reputed Government research or academic administrative organization at the national level with the proof of having demonstrated academic leadership. Preference will be given to the distinguished person in the field of Health Education. He/She must have been born on or after 01st of September, 1960.

4. The Vice Chancellor shall draw salary only as per provision of Statute 01 of the University.

5. In support of his unblemished career and undoubted integrity, the applicant should file a self attested certificate to the effect that no enquiry is instituted/commenced/pending in Lokayukt Sangathan, Economic Offence Bureau or any other organization against him at any level.

6. Along with the application, in case the applicant is in service, he should file a certificate of his employer / head of the office to the effect that no departmental enquiry is pending against him.

7. In case of any enquiry conducted as above in earlier years, details of such cases and final conclusion of the enquiry shall have also to be clearly mentioned by the applicant in the self attested certificate.

8. The aspirant for the post of Vice-Chancellor may submit his/her application and documents online on or before 03rd of June, 2026 on the link available on Rajbhavan's website "governor.mp.gov.in" and send, selfsigned on every page of generated receipt and downloaded copy of application submitted with documents alongwith bio-data and required certificates, to the Principal Secretary, Governor's Secretariat, Rajbhavan, Bhopal- 462003 (M.P.) by registered/speed post etc. "Application for the post of Vice-Chancellor, Madhya Pradesh Ayurvigyan University, Jabalpur (M.P.)" should be super-scribed on the upper part of envelope.

9. Any application received directly without online submission shall not be taken in to consideration. Online submission of application is compulsory.

10 With reference to Advertisement No. F-1-1/26/G.S./U.A.1/130, dated 02.03.2026, previously issued by this office, candidates who have already submitted online applications are not required to submit them again.

Dy. Secretary to Governor
Madhya Pradesh